

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक-

संख्या- 1/श्रम वि०स्था० 4-40-01/2010 श्र०सं०...../ बिहार कोषागार संहिता के नियम 84 के तहत श्री विपिन दत्त पाठक, पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक श्रम न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(विजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० 4-40-01/2010 श्र०सं०/ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि : श्री विपिन दत्त पाठक, पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि श्रम न्यायालय, पटना के कार्यालय के द्वारा उपस्थापित किये जाने वाले विपत्रों की निकासी सुनिश्चित करने की व्यवस्था के साथ ही हस्ताक्षर का अभिप्रमाणित नमूना सम्बन्धित कोषागार एवं बैंक को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/-
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० 4-40-01/2010 श्र०सं० 225...../ पटना, दिनांक-16/02/2016

प्रतिलिपि : श्रमायुक्त, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।